नई NCERT पाठ्यपुस्तकों से प्रस्तावना हटाई गई

स्रोत: द हिंदू

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद **(National Council of Educational Research and Training- NCERT)** ने वर्ष 2024 में जारी होने वाली कक्षा 3 और 6 की कई पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया है।

- NCERT ने स्पष्ट किया है कि संगठन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार समग्र विकास के लिये **प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रगान** सहित भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

प्रस्तावना:

- संविधान की **प्रस्तावना संविधान में निहित मूल संवैधानिक मूल्यों का प्रतिबिंब** है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि:
  - भारत एक **संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य** बनेगा जो लोगों के लिये **न्याय, समानता और स्वतंत्रता** हेतु प्रतिबद्ध होगा।
    - इसका उद्देश्य **राष्ट्र की एकता और अखंडता** बनाए रखने के लिये **भाईचारे को बढ़ावा** देना है।
  - संविधान के अधिकार का स्रोत **भारत के लोगों के पास** है।
  - इसे **26 नवंबर, 1949** को अपनाया गया था।
- **केशवानंद भारती केस, 1973** और **केंद्र सरकार बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम, 1995** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
- प्रस्तावना **मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करती** है और यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।

अधिक पढ़ें: भारतीय संविधान की प्रस्तावना

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/preamble-removed-from-new-ncert-textbooks